UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

Board Sec / SE / AGM / 74 /2017

June 7, 2017

Corporate Relations Cell Bombay Stock Exchange Ltd. P.J. Tower, Dalal Street, Fort Mumbai – 400001	**Listing Department** National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot – C/1, Block – G Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051
Scrip Code: UNITEDBNK (533171)	Scrip Code: UNITEDBNK

Dear Madam / Sir,

Subject: Notice of 8th Annual General Meeting of the Bank, Book Closure and E-Voting

The Exchange is hereby informed that the 8th Annual General Meeting (AGM) of the Bank has been scheduled to be held on Thursday, 29th June, 2017 at 10:00 a.m. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027 to transact the following businesses:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2017, the Reports of the Board of Directors on the workings and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To create, offer, issue and allot equity shares of face value of Rs. 10/- each at such price as may be decided in accordance with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended and / or SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/14/2015 dated 30.11.2015, not exceeding Rs. 1000 crore in one or more tranches / issue(s).

In this connection, it is further informed that the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from June 23, 2017 to June 29, 2017 (both days inclusive).

In accordance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the Bank shall be providing remote e-voting facility through Central Depository Services (India) Ltd. to the Shareholders to vote on the agenda items commencing from 10:00 hrs (IST) on Monday, June

26, 2017 and ending at 17:00 hrs (IST) on Wednesday, June 28, 2017. The cut-off date for voting shall be June 22, 2017.

A copy of the Notice of the AGM dated May 18, 2017 is enclosed for your record and dissemination. The same has been emailed/dispatched to all shareholders on June 6, 2017.

The aforesaid may be taken on record and considered as compliance under the applicable provision(s) of SEBI LODR Regulations.

Thanking You,

Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above.

आठवीं वार्षिक आम सभा की सूचना

Notice for Eighth Annual General Meeting

गुरुवार, 29 जून, 2017, पूर्वाह्न 10:00 बजे
Thursday, June 29, 2017 at 10:00 A.M.

सभास्थल/ Venue

भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय,
बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता – 700027
Bhasha Bhavan Auditorium, National Library,
Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
UNITED BANK OF INDIA
प्रधान कार्यालयः युनाइटेड टॉवर
Head Office: United Tower
11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता- 700001
11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001

सामग्री

पृष्ठ संख्या

नोटिस.....1

टिप्पणियां.....3

व्याख्यात्मक विवरण.....5

CONTENTS

Page No.

Notice.....11

Notes.....14

Explanatory Statement.....19

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के अनुसरण में, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 29 जून, 2017 को पूर्वाह्न 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलविडियर रोड, कोलकाता-700027 में, निम्नलिखित व्यवसाय चलाने हेतु आयोजित की जाएगी :-

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते का अनुमोदन और अंगीकार करना, खाते और तुलनपत्र पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और खाते में शामिल उक्त अवधि के लिए निदेशक मंडल द्वार प्रस्तुत बैंक के कार्य और क्रियाकलाप की रिपोर्ट की चर्चा करना
2. निम्नलिखित संकल्प को एक **विशेष संकल्प** के रूप में, अगर उचित समझा जाए, तो विचार करना और पारित करना:

संकल्प किया गया कि बैंकिग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद "**अधिनियम**" के रूप में संदर्भित किया गया), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, (इसके बाद **"योजना"** के रूप में संदर्भित किया गया) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, (इसके बाद **"बैंकिग विनियम अधिनियम"** के रूप में संदर्भित किया गया) युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010, (इसके बाद **"विनियम"** के रूप में संदर्भित किया गया), जैसा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जारी पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009, (इसके बाद **"सेबी आईसीडीआर विनियम"** के रूप में संदर्भित किया गया), विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 **(इसके बाद फेमाके रूप में संदर्भित किया जाएगा)**, विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा अंतरण अथवा जारी प्रतिभूति) विनियम, 2000, (इसके संबंध में फिलहाल के लिए प्रयोज्य किसी प्रकार के सांविधिक संशोधन अथवा आशोधन अथवा पुर्नप्रवर्तन समेत) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण आवश्यकताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, (इसके बाद **"सेबी सूचीकरण विनियम** के रूप में संदर्भित किया गया) तथा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारण को प्राप्त करने के संबंध में सेबी परिपत्र सं.सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/14/2015 दिनांक 30.11.2015, 18 मई, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में दिए गए अनुमोदन और भारत सरकार **(**इसके बाद **जीओआई** के रूप में संदर्भित किया गया**)** के अनुमोदन के शर्ताधीन, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड **(**इसके बाद **सेबी** के रूप में संदर्भित किया गया**),** भारतीय रिजर्व बैंक(इसके बाद **आरबीआई** के रूप में संदर्भित किया गया), स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, और अन्य सभी समुचित सांविधिक, सरकारी, और अन्य प्राधिकारियों तथा इसके संबंध में प्रयोज्य विभागों और ऐसे अन्य अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी, जैसा आवश्यक है, उक्त अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी स्वीकृत करते समय निर्धारित अथवा लागू शर्तें और संशोधन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल (इसके आगे इसे बोर्ड के रूप में संदर्भित किया गया जिसे बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु एक प्राधिकृत समिति अथवा कार्यपालक) सहमत हो, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के प्रावधानों के अनुसरण में अथवा सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसरण में पब्लिक इश्यु, राइट्स इश्यु अथवा सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/14/2015 दिनांक 30.11.2015 के तहत उल्लिखित पूंजी निर्गम के किसी अन्य रुपों में, प्लेसमेंट दस्तावेज समेत और बगैर और/अथवा निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज/लेख/परिपत्र/ज्ञापन, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के तहत क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबीएस) को एक अथवा अधिक हिस्सो में रु.1000 करोड़ तक कुल राशि के प्रत्येक रु.10/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर के सृजन, प्रस्ताव, निर्गत और आबंटन, बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे शर्तों और मूल्य में, समुचित समय पर नियुक्त और/अथवा उक्त निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा नियुक्त किए जानेवाले मर्चेंट बैंकर/परामर्शदाता/मध्यस्थ के परामर्श से और बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों अथवा उसकी समिति अथवा प्राधिकृत कार्यपालकों और बोर्ड/समिति/प्राधिकृत कार्यपालकों द्वारा अपने विवेकाधिकार के अन्तर्गत सभी विषयों में निर्णय लेने के लिए शेयरधारकों की सहमति ली गई ।"

पुनः संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल एतद्द्वारा जहां आवश्यक हो अग्रणी प्रबंधकों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य सलाहकारों अथवा अन्य से परामर्श करके, निर्गम की शर्तें, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उक्त कानून, नियम, विनियम, सेवी आईसीडीआर विनियम समेत, दिशा निर्देश, अधिसूचना, और प्रयोज्य निर्देशों से परामर्श करके एक अथवा अधिक पूंजी निर्गम का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है ।"

पुनः संकल्प किया गया कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट के मामले में-

क. सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स को प्रतिभूतियों का आबंटन होगा, उक्त प्रतिभूतियां पूर्ण रूप से प्रदत्त होगी और उक्त प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा किया जाएगा ।

ख. उक्त सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 85(1) के प्रावधान के अनुसरण में शेयरों को सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार उपर्युक्त न्यूनतम मूल्य पर पांच प्रतिशत तक बट्टे में प्रस्ताव करने के लिए बैंक प्राधिकृत है ।

ग. प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण के लिए सगंत तारीख सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार किया जाएगा ।

"संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल एतद्द्वारा किसी प्रस्ताव में किसी प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने के लिए जैसे कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड /स्टॉक एक्सचेंज, अथवा ऐसे समुचित प्राधिकारी अपने अनुमोदन, सहमति, अनुमति और उक्त निर्गत के लिए स्वीकृति, आबंटन और सूचीकरण के लिए और बोर्ड की सहमति से प्राधिकृत होगा ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, एनआरआई, एफआईआई और/अथवा अन्य योग्य विदेशी निवेशकों, जैसे प्रयोज्य, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत आरबीआई के अनुमोदन के शर्ताधीन और उक्त अधिनियम के अंतर्गत समग्र सीमा के भीतर नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियां, यदि हो, का निर्गम और आबंटन होगा ।"

पुनः संकल्प किया गया कि, जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर संशोधित युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के शर्ताधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ लाभांश समेत सभी संबंध में *समरूप* के लिए योग्य होगा जोकि उक्त घोषणा के समय प्रयोज्य सांविधिक दिशानिर्देश के अनुसार होगा ।"

पुनः संकल्प किया गया कि, बोर्ड को एतद्द्वारा अग्रणी प्रबंधकों, बैंकर्स, हामीदारों, डिपाजिटॉरी, और सभी एजेंसियों, मध्यस्थों जो उक्त इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल हैं, सभी व्यवस्था, करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि करने और उक्त सभी संस्थानों और एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकेरेज, शुल्क अथवा अन्य के द्वारा पारिश्रमिक देने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।"

पुनः संकल्प किया गया कि, इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों/मध्यस्थों से परामर्श करके अथवा बिना परामर्श से, निर्गम की शर्तें, निवेशक वर्ग समेत जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियां जिसे प्रत्येक चरण में आवंटित किया जाना है, निर्गम मूल्य (प्रीमियम समेत, अगर है, तो) अंकित मूल्य, निर्गम/रुपांतरण/वारंट का प्रयोग/प्रतिभूतियों का विमोचन, ब्याज दर, विमोचन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों की संख्या अथवा रुपांतरण अथवा विमोचन अथवा प्रतिभूतियों के रद्द करने, मूल्य, निर्गम पर बट्टा अथवा प्रीमियम/प्रतिभूतियों का रुपांतरण, ब्याजदर, रुपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख का निर्धारण अथवा खाता बंदी और संबंधित अथवा अनुषंगी विषय, भारत में और/अथवा विदेश में एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध अथवा किसी निर्गम के प्रयोज्य कानून, नियम एवं विनियम के तहत अनुमत असूचीबद्ध शेयरों/प्रतिभूतियों का निपटान करने के लिए बोर्ड़ जो उचित समझेगा, उसके लिए प्राधिकार होगा ।"

पुनः संकल्प किया गया कि, इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के आबंटन अथवा किसी निर्गम को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्द्वारा अपने पूर्णविवेक से सार्वजनिक प्रस्ताव समेत निवेशक वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित किया जाना है, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जानेवाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, प्रिमीयम राशि और सभी कार्य, उक्त कार्य को करने के लिए अपेक्षित वस्तु, दस्तावेज और करार, बोर्ड अपने पूर्णविवेक से, जैसा उचित, सटीक और उपयुक्त समझे और किसी प्रश्न के उत्तर के लिए निदेश अथवा अनुदेश देने, सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा और संदेह उत्पन्न होने के मामले में, निर्गम, निर्गम प्राप्तियों के प्रयोग एवं आबंटन, उक्त संशोधन को प्रभावी बनाने एवं स्वीकार करने, शर्तों के संबंध में परिवर्तन, संशोधन, जोड़ने-घटाने, बोर्ड अपने पूर्णविवेक से जैसा उचित और सटीक समझे, बैंक के पूर्ण हित में, सदस्यों के पुनः अनुमोदन अथवा प्राधिकार के बगैर, कि शेयरधारकों द्वारा उक्त संबंध में दिए गए अनुमोदन और संकल्प के प्राधिकार के अनुसार, और बैंक को दी गई किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल द्वारा उक्त संकल्प के संदर्भ में प्राधिकृत किया गया है।"

पुनः संकल्प किया गया कि, बोर्ड को एतद्वारा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और/ अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सौंपी गई किसी प्रकार अथवा सभी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया ।"

कृते **युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया**
निदेशक मंडल के आदेशानुसार
ह/-
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांकः 18 मई, 2017
स्थानः कोलकाता

टिप्पणियां:

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62 के अनुसार एक शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है तथा ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62(II) के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रखने के लिए उसे बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, चौथा तल, प्रधान कार्यालय, 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700001 में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 23 जून, 2017 को कारोबार समय की समाप्ति से पहले तक अवश्य प्राप्त होना चाहिए ।

इस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधि प्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा ।

यदि प्रतिनिधि प्रपत्र वैकल्पिक रुप से दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62(vi) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रुप में वोट देने का हक नहीं होगा।

बैंक का कोई अधिकारी / कर्मचारी प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त नहीं होगा।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 61 के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक संकल्प द्वारा अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को कोई बैठक में अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उस अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानों यदि वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो।

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रुप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में कार्य कर सकता है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 61(II) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उस बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700001 में शुक्रवार, 23 जून, 2017 को कारोबार अवधि की समाप्ति अथवा उससे चार दिन पहले जमा न की गई हो ।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु वार्षिक रिपोर्ट में उपस्थिति पर्ची संलग्न है । शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें । शेयरधारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति सह प्रवेश पत्र पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थित हो, का उल्लेख करना चाहिए ।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर को बंद करना

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 12 के प्रावधान के अनुसरण में, बैंक की वार्षिक आम बैठक के संबंध में **शुक्रवार, 23 जून, 2017 से गुरुवार, 29 जून 2017 तक (दोनों दिवस समेत)** शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक के अंतरण बही बंद रखी जाएगी।

5. शेयरधारकों से अनुरोध

5.1. तुलन पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं, जो उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। **वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बैठक स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी।**

जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक रिपोर्ट, सूचना आदि सहित सभी संचार प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता का पंजीकरण करवाएं।

5.2. शेयरों का अमूर्तिकरण

सहजता से शेयरों के नकदीकरण का लाभ उठाने के लिए, जो शेयरधारक अपने शेयरों को भौतिक रूप में रखे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि शेयरों को डिमेट रूप में करा लें ।

5.3. खातों की जानकारी

अपने खातों के संबंध में जानकारी/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक से कम से कम 4 दिन पहले बैंक को लिखें ताकि बैंक उनकी जानकारियों को तैयार रख सके।

5.4. फोलियों का समेकन

जो शेयरधारक, नामों के समान क्रम में एक जैसे नामों या संयुक्त नाम में बहु-फोलियो में प्रत्यक्ष रुप में शेयरों को धारित किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि अपने शेयर प्रमाण-पत्रों को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को एक फोलियो में समेकन के लिए भेजें।

5.5 पतों के परिवर्तन को अधिसूचित करना एवं बैंक अधिदेश

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते या बैंक खाते के विवरण में हुए किसी परिवर्तन को निम्नलिखित के पास दर्ज करवाएं -

क. इलेक्ट्रानिक रुप में धारित किए गए शेयरों के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों को;
ख. भौतिक रुप से धारित किए गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर -

लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा) लि.
(इकाईः युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया)
59सी, चौरंगी रोड, 3री तल
कोलकाता- 700020

5.6 स्थिति के परिवर्तन की रिकार्डिंग

गैर निवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित में परिवर्तन होने पर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को तत्काल सूचित करें-

क. भारत वापस आने पर उनकी आवासीय स्थिति ।
ख. भारत में बैंक खाता का विवरण पूरा नाम, बैंक का नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता सं., एमआईसीआर कोड, आईएफसी कोड, बैंक का पता एवं पिन, के साथ, यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया हो ।

6. अमूर्तिकरण (डीमैट) रुप में बैंक के शेयरों का अनिवार्य व्यापार

बैंक के शेयरों का आबंटन और खरीद अनिवार्यतः शेयर बाजार में केवल अमूर्तिकरण रुप में ही किया जाएगा।

बैंक ने अपने शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रुप में नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि.(एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीएसडीएल) के साथ एक करार किया है।

अमूर्तिकरण के लिए अनुरोध संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों के जरिए हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् **मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.** को भेजा जा सकता है।

7. अदावी शेयर

अदावी शेयरों का विवरण निम्नलिखित हैः

01.04.16 को	वर्ष के दौरान अंतरित शेयर	उंचत खाते में शेष राशि 01.03.17 को
6407	1645	4762

अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मदतान अधिकार कानूनी हकदारों द्वारा दावा किये जाने तक अवरुद्ध रहेंगे ।

बैंक ने शेयरधारकों के सुलभ संदर्भ हेतु अदावी शेयरों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ।

8. शेयरधारकों की पूछताछ

यदि शेयरधारक इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो पर्याप्त समय रहते पूछ लेना सराहनीय होगा और बैंक को भी इसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी । पूछताछ निम्नलिखित पते पर की जा सकती है-

शेयर विभाग व निवेशक शिकायत कक्ष,
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
प्रधान कार्यालय, चौथा तल
11, हेमन्त बसु सरणी,
कोलकाता 700001

अथवा ई-मेलः investors@unitedbank.co.in

9. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक के अपने किसी भी शेयर के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

10. ई-मतदान

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियमन 44 के अनुसार दिनांक 18 मई 2017 को बैंक की 8वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यसूची मदों की सूचना के अनुसार बैंक ने अपने सभी शेयरधारकों के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रुप से मतदान करने के लिए सूचीबद्धता करार के खण्ड 35बी के अनुसार ई-मतदान की सुविधा प्रदान की है। बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रामनियम एंड कंपनी, कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त किया है ।

रिमोट ई- मतदान वैकल्पिक है । रिमोट ई-मतदान के अतिरिक्त शेयरधारकों को बैठक के स्थान पर मदतान देने का विकल्प दिया जाएगा । जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना मतदान किया है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन अपना मतदान करने के हकदार नहीं होंगे ।

शेयरधारकों/ लाभार्थी स्वामी द्वारा उनके ई-मतदान का अधिकार गुरुवार, 22 जून, 2017 **(निर्धारित तारीख)** तक धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में स्वीकार किया जाएगा ।

रिमोट ई-मतदान की अवधि सोमवार, 26 जून, 2017 को 10.00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होकर बुधवार, 28 जून, 2017 को 17.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जिन्होंने निर्धारित तारीख तक शेयर भौतिक रुप में या डीमैट फॉर्म में धारित किया है, वे इलेक्ट्रानिक तरीके से अपने वोट डाल सकते हैं । ई-वोटिंग मॉड्यूल उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा ।

मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगइन करें और निम्नलिखित पद्धति का अनुसरण करें:

(i) **"शेयरहोल्डर्स"** टैब पर क्लिक करें ।

(ii) अब अपना **यूजर आईडी** दर्ज करें

क. सीडीएसएल के लिएः **16 अंकों का बेनिफीसरी आईडी**

ख. एनएसडीएल के लिएः **8 अंकों के क्लाईंट आईडी के बाद 8 अक्षर डीपी आईडी**

ग. भौतिक रुप में शेयर धारण किए हुए सदस्य **बैंक द्वारा पंजीकृत फोलियों नं. दर्ज करें**

(iii) अब प्रदर्शित हुए **इमेज वेरीफिकेशन** को दर्ज करें और **लॉगिंन** पर क्लिक करें ।

यदि आप डीमैट के रुप में शेयर धारण करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉगऑन किया था और इससे पहले किसी भी कंपनी/ सूचीबद्ध संस्था को हाल ही की वोटिंग में मतदान किया है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है ।

(iv) यदि आप प्रथम उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें:

	डीमैट रुप में एवं भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक **पैन** की प्रविष्टि करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ भौतिक रुप में शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने बैंक/ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने **नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फिल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें ।** • **क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले में 0 के लागू नम्बर को संख्या के पहले बड़े अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद दर्ज करें ।** अर्थात् यदि आपका नाम क्रम संख्या 1 के साथ रमेश कुमार है तो पैन फिल्ड में आरए00000001 प्रविष्ट करें ।
जन्म तिथि	**आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए बैंक रिकॉर्ड के अनुसार जन्मतिथि** या फोलियो संख्या **दिन/माह/वर्ष** की प्रविष्टि करें ।
लाभांश बैंक विवरण	**लॉगिन करने के लिए आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए कंपनी रिकॉर्ड के अनुसार लाभांश** बैंक विवरण या जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारुप में) फोलियो की प्रविष्टि करें । • यदि विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के साथ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, कृपया अपनी सदस्यता आईडी/फोलियो सं. दिशानिर्देश (ii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में प्रविष्टि करें ।

(v) उचित रुप से इन ब्योरों को भरने के बाद **"सबमिट"** टैब पर क्लिक करें ।

(vi) इसके बाद, भौतिक रुप से शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयनित स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे । हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब '**पासवर्ड क्रियेसन** मेन्यु' तक पहुंच जाएंगें जिसमें उन्हें अनिवार्य रुप में नया पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि करने की आवश्यकता होगी । कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड से डीमैट धारक मतदान करने के पात्र हैं जिसपर किसी भी अन्य कंपनी का संकल्प(ओं) के लिए मतदान के लिए प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि कंपनी/संस्था सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-मतदान के विकल्प प्रदान करता हो । यह दृढता से **सिफारिश की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड की हिस्सेदारी नहीं करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत देखभाल करें ।**

(vii) भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई-मतदान के लिए किया जा सकता है ।

(viii) **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** के लिए वोट करने हेतु **ईवीएसएन** पर क्लिक करें ।

(ix) मतदान पृष्ठ पर, आप **"रिजोल्यूसन विवरण"** देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए **"हाँ/नहीं"** विकल्प होगा। विकल्प हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प **हाँ** रिजोल्यूसन पर आप की सहमति का तात्पर्य है कि और विकल्प **नहीं** रिजोल्यूसन पर आप असहमत हैं ।

(x) यदि आप पूरा रिजोल्यूसन ब्योरा देखना चाहते हैं तो **"रिजोल्यूसन फ़ाइल लिंक"** पर क्लिक करें।

(xi) रिजोल्यूसन चयन करने के बाद, आपने वोट करने का फैसला किया है, तो **"सबमिट"** पर क्लिक करें। एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो **"ओके"** पर क्लिक करें और अपने वोट को बदलने के लिए, **"कैंसल"** पर क्लिक करें और उसके अनुसार अपने वोट को संशोधित करें ।

(xii) रिजोल्यूसन पर एक बार आप अपना वोट **"कॉनर्फम"** कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiii) वोटिंग पृष्ठ को **"क्लिक हियर टू प्रिंट"** विकल्प पर क्लिक करके, आप अपने मतदान का प्रिंट आउट ले सकते हैं।

(xiv) यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गए हों तो वे यूजर आईडी दर्ज करें और इमेज वेरिफिकेसन कोड दर्ज करें और फोर्गेट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं प्रणाली द्वारा प्रेरित विवरण दर्ज करें।

(xv) **संस्थागत शेयरधारकों के लिए नोट**

संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् - व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा)
https://www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और कॉर्पोरेट के रूप में खुद को पंजीकृत करें।

इकाई द्वारा अपनी मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को
helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल किया जाना चाहिए।

लॉगइन ब्योरा प्राप्त होने के बाद वे प्रशासनिक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाएंगे । कंप्लायंस उपयोगकर्ता से खाता (ओं) को लिंक सक्षम हो जाएगा , जिसपर वे वोट देना चाहते हैं ।

खातों की सूची **helpdesk.evoting@cdslindia.com** मेल पर भेज दिया जाएगा और खातों के अनुमोदन पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे।

अभिरक्षक के पक्ष में जारी किए गए बोर्ड संकल्प और पावर ऑफ़ अटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो तो इसे प्रणाली में सत्यापित करने के लिए पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए ।

यदि आपको या रिमोट ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या मुद्दा हो तो आप सामन्यतः पूछे जाने वाले सवाल ("एफ ए क्यू") पर और ई-वोटिंग मैनुअल www.evotingindia.com के हेल्पडेस्क पर उपलब्ध है या इसे प्राप्त करने के लिए evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें।

11. एजीएम स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया

कार्यसूची के मद पर मतदान, रिमोट ई-मतदान के साथ-साथ बैठक में मतदान द्वारा किया जाएगा । जिन्होंने ई-मतदान विकल्प का प्रयोग नहीं किया वे बैठक की तारीख को एजीएम के स्थान पर परिचालित किए जानेवाले मतदान में मतदान देने के हकदार होंगे । बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त संबंध में उद्घोषणा करने के बाद कार्यसूची के अनुरूप बैठक में वोट डाले जाएंगे । शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उक्त स्थान पर मतदान पत्र जारी किए जाएंगे । निर्धारित तारीख तक अर्थात गुरुवार, 22 जून, 2017 तक उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के बराबर मतदान की संख्या होगी ।

12. रिमोट ई-मतदान एवं मतदान का परिणाम

बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर रिमोट ई-मतदान तथा मतदान का समेकित परिणाम घोषित किया जाएगा । इसे बैंक की वेबसाईट, सीडीएसएल में दिया जाएगा और जिस स्टॉक एक्सचेंज में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उसे सूचित किया जाएगा ।

13. बैठक में मतदान हेतु संवीक्षक

बैठक में परिचालित किए जानेवाले मतदान में मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एण्ड को., कंपनी, सचिवगण एवं एक शेयरधारक प्रतिनिधि संवीक्षक के रुप में काम करेंगे ।

14. सभी तथ्यों को स्थापित करने हेतु व्याख्यात्मक विवरण

14.1 कार्य सूची मद संख्या - 2

बैंक, बैंकिंग और संबंधित गतिविधियों का व्यवसाय करता है । वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी रू. 3000 करोड़ है । 31 मार्च, 2017 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रू.1394.36 करोड़ थी।

वित्त मंत्रालय ने बैंक द्वारा ऋण वृद्धि हेतु अनुमानों के आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता की समीक्षा तथा निर्धारण करने के बाद और विगत पांच वर्षों के लिए बैंक की ऋण वृद्धि का सीएजीआर पर एवं सभी अनुमानों और जोखिम धारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) की परिणामी वृद्धि एवं वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने पत्र संख्या एफ.सं.7/38/2014-बीओए दिनांक 19, जुलाई 2016 के द्वारा बैंक को केन्द्र सरकार के पक्ष में अधिमान्य इक्विटी आबंटन द्वारा रु.810 करोड़ आवंटित किया और जिसमें से सितम्बर, 2016 में प्राप्त रु.608 करोड़ शामिल है ।

भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 16 मार्च, 2017 द्वारा निम्नलिखित के शर्ताधीन भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक में अधिमान्य इक्विटी के आबंटन के रुप में रु.418 करोड़ देने की इच्छा जाहिर की है ।

I. पूंजी का आबंटन तिमाही के लिए निर्धारित लक्ष्य के साथ संपर्कित है, जिसपर सभी संबंधित पक्ष अर्थात बैंक के बोर्ड, प्रबंधन, कर्मचारियों और सभी यूनियन की सहमति अनिवार्य है ।

II. भारत सरकार, बैंक प्रबंधन और पीएसबी के कर्मचारियों के बीच एक त्रिपाक्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाना जाना है ।

III. मात्रा और माप निर्धारित किए जाने योग्य माइल स्टोन के साथ वित्तीय वर्ष 2018 से आरंभ समयबद्ध योजना हेतु एग्रीमेंट के सभी सहभागियों के लिए एमओयू किया जाना है, जिसकी निगरानी तिमाही आधार पर की जा सके ।

IV. की गई पहलों की सांकेतिक सूची, जो एमओयू के अंतर्गत महत्वपूर्ण हैं, उसमें निम्नांकित बातें शामिल होंगी –

क) एनपीए का सक्रिय प्रबंधन तथा लेखन एवं निगरानी के तहत ऋण की सुदृढता

ख) बाजार से पूंजी की व्यवस्था करना

ग) प्रशासनिक एवं परिचालनगत व्ययों को तर्क संगत बनाना और उसमें कमी लाना ।

यह राशि बैंक की टीयर 1 पूंजी में लगाई गई है और शेयर एप्लिकेशन मनी खाते में रखी गई है और उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षरित होने तक लंबित है ।।

बैंक ने मार्च 2017 में सफलतापूर्वक रू.127.49 करोड़ का गुणवत्तापूर्ण संस्थानिक प्लेसमेंट पूर्ण किया है ।

बैंक मुख्यतः अपने अग्रिम पोर्टफोलियो में वृद्धि करने, आस्ति गुणवत्ता सुधारने और एनपीए की वसूली पर विशेष ध्यान देता रहा है । बैंक विशेषतः रिटेन ऑफ खातों में वसूली एवं श्रेणी उन्नयन के माध्यम से, एनपीए को कम करते हुए अपनी आस्ति बही को उच्च गुणवत्तायुक्त बनाने पर बल देता है ।

वर्तमान में, बैंक में सरकार की शेयरधारिता 1188364031 शेयर हैं जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का 85.23% है । मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार जोखिम भारित आस्तियां के लिए पूंजी निधि बेसल III के अंतर्गत निम्नांकित प्रकार थी

ब्योरा (31.03.17 को)	राशि (रू. करोड़ में)	जोखिम भारित आस्तियां के लिए पूंजी निधि का %
जोखिम भारित आस्तियां	71197.86	
टियर I पूंजी	6367.77	8.94 %
टियर 2 पूंजी	1563.09	2.20 %
कुल पूंजी	7930.86	11.14 %

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 10.50 % से ऊपर (1.25 % सीसीबी समेत 10.25 % की न्यूनतम नियामक अपेक्षा के मुक़ाबले) सीआरएआर बनाए रखने का लक्ष्य रखा है । हालांकि, बैंक 31 मार्च, 2018 तक 10.875 % की न्यूनतम नियामक अपेक्षा के मुक़ाबले 11.00 % से ऊपर सीआरएआर रखने का प्रयास करेगा।

यदि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अतिरिक्त पूंजी की अपेक्षा होती है, तो उसे प्रासंगिक विनियामक दिशानिर्देशों के शर्ताधीन आंतरिक सृजन, इक्विटी जारी करके तथा बेसेल III अनुपालित ऋण लिखतों को मिलाकर पूरा किया जा सकता है ।

बैंक में प्रोमोटर की शेयरधारिता पहले ही 85.23% अर्थात 75 % से अधिक है जो रु.418 करोड़ मिलने के फलस्वरूप शेयर आबंटन के बाद 86.81% होने जा रही है। सेबी के सूचीकरण विनियमन और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम 1957 के अनुसार बैंक के लिए प्रोमोटरों की शेयरधारिता कम करके अगस्त 2017 तक 75 % से नीचे लाना अपेक्षित है ।

विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने तथा लक्ष्यित व्यवसाय वृद्धि के विस्तार और उसकी प्राप्ति के लिए अतिरिक्त पूंजी निधि आवश्यकता को पूरा करने हेतु और बैंक के सामान्य उधार के उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त पूंजी निधि की आवश्यकता पूरी करने हेतु बैंक प्रत्येक रु.10/- के इक्विटी शेयर ऐसे मूल्य पर जारी करने का प्रस्ताव करता है जो निर्गम के निकट अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव या अधिकार निर्गम या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूश्नल प्लेस्मेंट या ऐसे अन्य उपयुक्त माध्यमों के जरिए सेबी आईसीडीआर विनियम के अंतर्गत निर्धारित किया जा सके और जैसाकि सेबी के परिपत्र, दिनांक 30 नवम्बर, 2015 में उल्लिखित है।

क)क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन प्लेसमेंट के द्वारा उपर्युक्त इक्विटी शेयर जारी करने के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना हैं कि ;

i. सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में इक्विटी शेयर के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से संगत तारीख और/अथवा अन्य विनियम, जिसमें बोर्ड अथवा समिति इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम खोलने के लिए प्राधिकृत है ।

ii. चूंकि,ऑफर की कीमत एक परवर्ती चरण के अलावा निर्धारित नहीं की जा सकती है, जारी किए जानेवाले शेयरों की कीमत बताना संभव नहीं है। तथापि, वह आईसीडीआर विनियम, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंक के (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2010, समय समय पर यथासंशोधित, तथा किसी अन्य दिशानिर्देश/विनियम/सहमति, जैसा प्रयोज्य अथवा अपेक्षित हो।

iii. पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों का निर्गम एवं आबंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अनुसरण में केवल क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) को किया जाएगा और उपर्युक्त संकल्प पारित करने की तारीख से 12 माह के भीतर आबंटन का कार्य पूरा किया जाएगा।

iv. उक्त प्रस्ताव के लिए नियम एवं शर्तों का ब्यौरा सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों एवं हामीदारों और ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जैसा अपेक्षित है,के साथ परामर्श करते हुए स्थिर किया जाएगा और मौजूदा बाजार व्यवस्था और अन्य विनियामक अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा ।

v. उक्त उपायों से जुटायी गई राशि समग्र आबंटन समेत प्रतिभूतियों के निर्गम से संबंधित शर्तें, अगर हैं, विगत वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार बैंक के निवल मालियत का 5 गुने से अधिक नहीं होगा ।

vi. प्रतिभूतियां आवंटित होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी-आईसीडीआर विनियम द्वारा समय-समय पर अनुमत को छोड़कर, अंतरण /बिक्री के लिए योग्य नहीं होंगी ।

vii. आवंटित इक्विटी शेयर, लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी प्रकार से *समरुप* की श्रेणी का होगा ।

पूर्वोक्त कारणों से इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार देने के लिए संकल्प पारित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन के लिए बैंक को एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित है। अतः, उपरोक्त प्रस्ताव पर आपकी सहमति हेतु निवेदन किया जाता है।

नोटिस में यथा उल्लिखित संकल्पों को पारित करने के लिए निदेशक मंडल अनुशंसा करता है।

बैंक में शेयरधारिता, यदि है, की सीमा के अलावा,उपरोक्त संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक की रुचि या संबद्धता नहीं है।

कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
निदेशक मंडल के आदेश से
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 18 मई, 2017

[वार्षिक रिपोर्ट अलग से भेजी जा रही है]

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 48 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, the Eighth Annual General Meeting of the shareholders of United Bank of India ('the Bank') will be held on Thursday, June 29, 2017, at 10:00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027 to transact the following businesses:-

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2017, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To consider and if thought fit, pass the following resolution as a **Special Resolution**:

 "RESOLVED THAT, pursuant to the applicable provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as **'the Act'**), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as **'the Scheme'**), the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as **"Bank Regulation Act"**), the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as **"the Regulations"**), Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as **"SEBI ICDR Regulations"**) as amended, the Foreign Exchange Management Act, 1999 (hereinafter referred to as **"FEMA"**), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (including any statutory amendments thereto or modifications or re-enactments thereof for the time being in force) and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (hereinafter referred to as **"SEBI Listing Regulations"**), SEBI circular no.CIR/CFD/CMD/14/2015 dated 30.11.2015 on achievement of minimum public shareholding, approval by the Bank's Board of Directors at its meeting dated May 18, 2017 and subject to the approvals of the Government of India (hereinafter referred to as **"GoI"**), Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as **"SEBI"**), Reserve Bank of India (hereinafter referred to as **"RBI"**), Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed, and all other appropriate statutory, government and other authorities and departments as may be applicable in this regard, and such other approvals, consents, permissions and sanctions, as may be necessary, and subject to such conditions and modifications as may be prescribed or imposed by any of them while granting such approvals, consents, permissions and sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the **"Board"** which term shall include a duly authorized Committee or Executives for the time being exercising the powers conferred by the Board), the consent of the shareholders be and is hereby accorded to create, offer, issue and allot Equity Shares of face value of Rs. 10/- each up to an aggregate amount not exceeding Rs.1000 crore in one or more tranches to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"**) under the Qualified Institutions Placement (**"QIP"**), in terms of the provisions of Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations or by way of Public Issue, Rights Issue in terms of SEBI ICDR Regulations or such other forms of capital issue(s) as mentioned under SEBI circular no.CIR/CFD/CMD/14/2015 dated 30.11.2015, with or without a placement document and/or such other documents/ writings/ circulars / memoranda in such manner as may be prescribed, at such price and on such terms and conditions as may be determined by the Board at an appropriate time in consultations with the Merchant Banker(s)/ Consultants/Intermediaries appointed and/or to be appointed by the Bank in relation to such issue and on such terms and conditions as may be finalized by the Board or its Committee or authorized Executives and that the Board/ Committee/ authorized Executives may finalize all matters incidental thereto as it may in its absolute discretion think fit."

 "**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board be and is hereby authorised to decide the size of one or more capital issue(s), the price(s) of the issue(s) in such manner and where necessary in consultation with the

lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise, the terms and conditions of the issue(s), as the Board may in its absolute discretion decide in accordance with such laws, rules, regulations including SEBI ICDR Regulations, guidelines, notifications, directions as may be applicable."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations –

a. the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
b. the Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of SEBI ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price determined in accordance with the SEBI ICDR Regulations.
c. the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board be and is hereby authorised to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/ SEBI/ Stock Exchanges or such other appropriate authorities at the time of granting their approvals, consents, permissions and sanctions to the issuance, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the issuance and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the said Act."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the fresh equity shares to be issued be subject to the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 as amended and shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank in all respects including dividend, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc. with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies) and all such agencies / intermediaries as may be involved or concerned in such offering of equity shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, for the purpose of giving effect to the above, the Board in its absolute discretion, whether or not in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons / intermediaries as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion/exercise of warrants/redemption of securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the securities, the price, premium or discount on issue/conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, disposing off the unsubscribed shares/ securities in an issue as permissible under applicable laws, rules & regulations, as the Board may deems fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/ securities, the Board, be and is hereby authorized to determine in its absolute discretion the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche / issue, issue price, premium amount and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as the Board may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions as the Board may in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution be exercised by the Board of Directors."

"**RESOLVED FURTHER THAT,** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO and/or the Executive Director(s) for giving effect to the aforesaid Resolutions."

For **UNITED BANK OF INDIA**
By order of the Board of Directors

Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 18th May, 2017
Place: Kolkata

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

Pursuant to Regulation 62 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, a shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

In terms of Regulation 62(ii) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, the proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its **Share Department & Investors Grievance Cell**, 4th Floor, Head Office, 11 Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001 not less than **four days** before the date of the Meeting i.e. on or before the closing business hours of **Friday, June 23, 2017.**

The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

The grantor of an instrument of proxy under Regulation 62(vi) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010 shall not be entitled to vote in person at the Meeting.

No person shall be appointed a Proxy who is an officer / employee of the Bank.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

Pursuant to Regulation 61 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, a shareholder, being the Central Government or Company, may by resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at the Meeting and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he/she represents, as if he/she was an individual shareholder of the Bank.

The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or the Company.

In terms of Regulation 61(ii) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, no person shall attend or vote at the Meeting as the duly authorised representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as such certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, is deposited to the Bank at its **Share Department & Investors Grievance Cell**, Head Office, 4th Floor, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001 not less than **four days** before the date of the Meeting i.e. on or before the closing business hours of **Friday, June 23, 2017.**

3. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip cum entry pass is annexed to the Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the Meeting. Proxy/Authorised Representatives of shareholders should state on their attendance slip cum entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the provisions of Regulation 12 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 the Register of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from **Friday,**

June 23, 2017 to Thursday, June 29, 2017 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting of the Bank.

5. REQUESTS TO THE SHAREHOLDERS

5.1. Copies of Balance Sheet

Shareholders are requested to carry their copies of the Annual Report which are emailed/couriered to their Registered Addresses. **Copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Meeting**.

Shareholders who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail address for receiving all communications including Annual Report, Notices etc.

5.2. Dematerialization of Shares

Shareholders who are holding shares in physical form are requested to get their shares dematerialized to avail easy liquidity.

5.3. Information on Accounts

Shareholders seeking information/ clarification with regard to accounts are requested to write to the Bank at least four days prior to the Annual General Meeting so as to enable the Bank to keep the information ready.

5.4. Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint name in the same combination of names are requested to send their share certificates to the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt. Ltd., for consolidation into single folio.

5.5. Notifying Change of Address & Bank mandates

Shareholders are requested to notify any change in their address or bank account details to –

a. Respective Depository Participants in respect of the shares held in demat forms;

b. The Registrar & Share Transfer Agent in respect of shares held in physical form at the following address –

Link Intime India Pvt. Ltd.
(Unit: United Bank of India),
59C, Chowringhee Road, 3rd floor,
Kolkata – 700020

5.6. Recording of Change of Status

Non Resident shareholders are requested to inform the Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. immediately upon change in –

a. their Residential Status on return to India.

b. particulars of Bank Account in India with complete name, bank, branch, account type, account no., MICR code, IFS code, address of the Bank with PIN, if not submitted earlier.

6. COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM

Bank's shares had been allotted and are compulsorily traded on the Stock Exchanges in dematerialized form only.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer Company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agent i.e. **M/s Link Intime India Pvt. Ltd**.

7. UNCLAIMED SHARES

The details of unclaimed shares are as under:

As on 01.04.2016	Shares transferred during the Year	Balance in Suspense Account As on 31.03.2017
6407	1645	4762

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares shall remain frozen till claimed by the rightful owners.

The Bank has uploaded the details of unclaimed shares on the website for ready reference of the shareholders.

8. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank. Queries may be sent to the–

Share Department & Investors Grievance Cell,
United Bank of India,
Head Office, 4th floor,
11, Hemanta Basu Sarani,
Kolkata 700001

or emailed to **investors@unitedbank.co.in**

9. VOTING RIGHTS

Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all shareholders of the Bank.

10. E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility as per Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the agenda items mentioned in the Notice of the Eighth Annual General Meeting dated May 18, 2017. The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Remote e-voting is optional. In addition to remote e-voting the shareholders shall have the option of voting at the venue of the Meeting. Shareholders who have cast their votes by electronic means may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their votes.

The e-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned in respect of the equity shares held by them as on Thursday, June 22, 2017 (**the Cut-off Date**).

The remote e-voting period shall begin at 10:00 hrs. (IST) on Monday, June 26, 2017 and end at 17:00 hrs. (IST) on Wednesday, June 28, 2017. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com during the voting period and follow the below mentioned steps:

(i) Click on **"Shareholders"** tab.

(ii) Enter your **User ID**
 a. For CDSL: **16 digits beneficiary ID**,
 b. For NSDL: **8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID**,
 c. Members holding shares in Physical Form should enter **Folio Number registered with the Bank**.

(iii) Next Enter the **Image Verification** as displayed and Click on **Login**.

If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company / listed entity, then your existing password is to be used.

(iv) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric **PAN** issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the **first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field**. • **In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters**. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the **Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records** for the said demat account or folio in **dd/mm/yyyy** format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank Details records for the said demat account or folio in order to login. • If the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (ii).

(v) After entering these details appropriately, click on "**SUBMIT**" tab.

(vi) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach **'Password Creation'** menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is also to be used by the demat holders for voting on resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

(vii) For Member holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(viii) Click on the **EVSN** for **United Bank of India** to vote.

(ix) On the voting page, you will see **"RESOLUTION DESCRIPTION"** and against the same the option **"YES/NO"** for voting. Select the option **YES** or **NO** as desired. The option **YES** implies that you assent to the Resolution and option **NO** implies that you dissent to the Resolution.

(x) Should you wish to peruse the whole resolution, please click on **"RESOLUTIONS FILE LINK"**.

(xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on **"SUBMIT"**. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on **"OK"**, else to change your vote, click on **"CANCEL"** and accordingly modify your vote.

(xii) Once you "**CONFIRM**" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiii) You can also take out print of the voting done by you by clicking on **"Click here to print"** option on the Voting page.

(xiv) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on "**Forgot Password**" & enter the details as prompted by the system.

(xv) **Note for Institutional Shareholders**

Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to https://www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.

A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

After receiving the login details they have to create a compliance user using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer to the **Frequently Asked Questions** ("FAQs") and e-voting manual available on **www.evotingindia.com** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

11. VOTING PROCESS AT THE AGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the Meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate and vote at the venue of the AGM on the date of the Meeting. Voting shall be conducted at the meeting on the agenda items after an announcement in this regard is made by the Chairman of the Meeting. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e. Thursday, June 22, 2017.

12. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND VOTING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the Meeting venue shall be announced within 48 hours of the conclusion of the Meeting by hosting the same on the website of the Bank, CDSL and disseminating the same to Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed.

13. SCRUTINIZERS FOR VOTING AT THE MEETING

M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries and a shareholder representative shall act as Scrutinizers in respect of the voting to be conducted at the Meeting.

14. EXPLANATORY STATEMENT SETTING OUT MATERIAL FACTS

14.1 Agenda Item No.2

The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.3000 crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on March 31, 2017 was Rs.1394.36 crore.

Ministry of Finance after assessment and review of the Bank's capital adequacy in the light of the projections for credit growth by the Bank and CAGR of credit growth of the Bank for last 5 years and based on overall projections and consequential growth of Risk Weighted Assets (RWA) and other financials, vide its letter F.No.7/38/2014-BOA dated July 19, 2016 allocated Rs.810 crore to the Bank by way of preferential allotment of equity in favour of the Central Government of which Rs.608 crore had been infused in September 2016.

Government of India vide their letter dated 16th March 2017 communicated its intention to infuse capital to the extent of Rs.418 crore as preferential allotment of equity in the Bank in favour of the Government of India (President of India) subject to the following :-

I. The Capital allocation is linked with quarterly milestones on which all related parties i.e., Bank's Board, Management, employees and unions must consent.
II. A Tripartite Memorandum of Understanding (MOU) between the Government of India, the Bank management and employees of the PSB has to be entered into.
III. The MOU has to commit all the participants to the agreement for a time-bound plan beginning FY 2018 onwards with quantifiable and measurable milestones which can be monitored on quarterly basis.

IV. The Indicative list of initiatives which will form part of the milestones under the MOU will inter alia include the following :-

- Active NPA Management and strengthening of credit underwriting and monitoring
- Arranging Capital from the market
- Rationalization and reduction of administrative, operating expenses.

The amount has since been infused in the Tier-1 Capital of the Bank, and kept in Share Application Money Account pending signing of the aforementioned MOU.

The Bank has successfully concluded a Qualified Institutions Placement of Rs.127.49cr. in March 2017.

The Bank has been focusing mainly on increasing its advances portfolio and improving asset quality and recovery of NPA. The Bank continues to concentrate on building its asset book in good quality corporate and reducing NPA by recovery and upgradation, especially in the written off accounts.

Presently, the shareholding of Government of India in the Bank is 1188364031 shares constituting 85.23% of the total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as of March, 2017 under Basel-III was as under –

Particulars (As on 31.03.2017)	**Amount (Rs. in Crores)**	**% of capital funds to risk weighted asset**
Risk Weighted Assets	71197.86	
Tier-1 Capital	6367.77	8.94%
Tier-2 Capital	1563.09	2.20%
Total Capital	7930.86	11.14%

The Bank is targeting to maintain CRAR above 10.50% (against minimum regulatory requirement of 10.25% including CCB of 1.25%) during the current FY 2017-18. However, as on 31st March 2018, the Bank will endeavour to maintain the CRAR above 11.00% against the minimum regulatory requirement of 10.875%.

This additional capital requirement, if any during the FY 2017-18, can be met by a combination of internal generation, issuance of equity and BASEL III compliant debt instruments subject to relevant regulatory guidelines.

The promoters' holding in the Bank is already at 85.23% i.e. beyond 75%. The same is going to go up to 86.81% upon allotment of shares pursuant to infusion of Rs 418 Crore. In terms of the SEBI Listing Regulations and Securities Contract (Regulations) Rules 1957, the Bank is required to bring down the promoters' holding to less than 75% by August 2017.

In order to ensure regulatory compliances and to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes, the Bank proposes to issue equity shares of Rs.10/- each at such price as may be determined close to the issue, by way of Follow-on Public Offer or Rights Issue or Qualified Institutions Placement(s), or such other suitable means under SEBI ICDR Regulations and as mentioned in the SEBI Circular dated November 30, 2015.

a) In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placement, it will be ensured that:

i. The Relevant Date for the purpose of pricing of the Equity Shares would, pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or duly authorised committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval

ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a ***later*** stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Bank's (Shares & Meetings) Regulations, 2010 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/ consents as may be applicable or required;

iii. The issue and allotment of fully paid equity shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI ICDR Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;

iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements;

v. The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any, as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited balance sheet of the previous financial year;

vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI ICDR Regulations;

vii. The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested to the above proposal.

The Board of Directors recommends passing the Resolutions as mentioned in the Notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank, if any.

For **UNITED BANK OF INDIA**
By order of the Board of Directors
Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: 18th May, 2017

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते पर लौटाएँ :

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट : **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया**

59-सी, चौरंगी रोड, कोलकाता-700020

If undelivered please return to :

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

Unit : **United Bank of India**

59C, Chowringhee Road, Kolkata-700020